ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत ग्रामों में कराये जाने वाले कार्यों की रूप–रेखा।

गांवों में कृषि सम्बंधित और मवेशियों के अपशिष्ट सहित जैविक कचरे के लिए पर्याप्त संख्या में वैयक्तिक तथा सामुदायिक कम्पोस्ट गड्ढ़े होने चाहिएं और प्लास्टिक कचरे के लिए समुचित पृथक्करण और एकत्रण प्रणाली होनी चाहिए। ग्रामों को उनकी आवश्यकता और परिपेक्ष्य के अनुसार तकनीकों का चयन करने की छूट होगी। ठोस कचरा प्रबंधन के कार्य को ग्राम पंचायतों द्वारा किसी एजेंसी/व्यक्तियों के समूह को नियोजित करके या जिला प्रशासन द्वारा तैयार किए गए प्रोटोकॉल के अनुसार कार्यान्वित किया जा सकता है। ऐसी परिसंपत्तियों की संख्या और स्थान, ग्राम सभा/ब्लॉक/जिला प्रशासन द्वारा अनुमोदित और जैसा कार्य योजना में निर्दिष्ट है के अनुसार होनी चाहिए। विशेष रूप से ब्लॉक पर गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए एजेंसियों का चयन उनके पिछले कार्य अनुभव, तकनीकी क्षमता तथा कम भुगतान में अधिक कार्य के आधार पर ध्यानपूर्वक किया जाना चाहिए।

वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु राजस्व ग्रामों में निम्न गतिविधियों का संचालन किया जाना चाहिए, जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

1. अपशिष्ट की मात्रा कम करना।
2. अपशिष्ट का पुनर्चक्रण करना।
3. जैविक अपशिष्ट से खाद बनाना।
4. अपशिष्ट का सुरक्षित निपटान करना।
5. अपशिष्ट से ऊर्जा पैदा करना।
6. अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जन जागरूकता अभियान चलाना।
7. अपशिष्ट प्रबंधन के लिए तकनीकी विकल्पों का इस्तेमाल करना।
8. अपशिष्ट प्रबंधन के लिए संस्थागत क्षमता निर्माण करना।
9. अपशिष्ट प्रबंधन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देना।
10. अपशिष्ट संग्रहण और परिवहन में सुधार करना।
11. अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नागरिक समाज, गैर सरकारी संगठनों, और निजी क्षेत्रों को शामिल करना।
12. अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कर्मचारियों की बेहतर कार्य स्थितियां सुनिश्चित करना।
13. अपशिष्ट प्रबंधन के लिए शहरीकरण की दीर्घकालिक रणनीति बनाना।
14. अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जन जागरूकता अभियान चलाना।
15. अपशिष्ट प्रबंधन के लिए तकनीकी विकल्पों का इस्तेमाल करना।